



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण **निगरानी-4368/2018/सिंगरौली/भू.श.**

बृजेश कुमार पुत्र श्री शालिकराम
निवासी ग्राम पिडरवाह तहसील सरई
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर सिंगरौली

.... अनावेदक

श्री **बृजेश कुमार**
दिनांक 16-7-18
प्रस्तुत आदेश के
दिनांक 20-7-18

बृजेश कुमार
राजस्व मण्डल, म.प्र. गवालियर 16-7-18

बृजेश कुमार
16-7-18 (साओके)
गवालियर

न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा प्र.कं. 38/निगरानी/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 18.6.18 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 12959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

बृजेश कुमार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/4368/18/सिंगरौली, भू.रा.सि.

प्रवेश कुमार म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>प्रवेश कुमार</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>38/निग/17-18</u> में पारित आदेश दिनांक <u>18/06/18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को संभागीय आयुक्त <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"><u>mm</u> सदस्य</p>	